राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com,

पत्रांकः सी0ओ0ई0 / 67 / 2025 दिनांक– 11 मई, 2025

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या
समस्त सम्बद्ध नोडल केन्द्र एवं परीक्षा केन्द्र,
राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़।

विषयः परीक्षाओं को सम्पन्न कराये जाने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक 13.05.2025 से प्रारम्भ हो रही विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को नकलविहीन एंव शुचितापूर्ण सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत निम्नलिखित दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें–

1. सील्ड प्रश्नपत्रों के बण्डल को प्राप्त करने एवं परीक्षा केन्द्र पर भेजने से पूर्व नोडल परीक्षा केन्द्र के प्राचार्य सुनिश्चित करलें कि सम्बन्धित सील्ड प्रश्नपत्रों का बण्डल नोडल केन्द्र से सम्बद्ध परीक्षा केन्द्रों का ही है।
2. परीक्षा केन्द्रों के प्राचार्य / केन्द्राध्यक्ष सील्ड प्रश्नपत्रों के बण्डलों को खोलने से पूर्व सुनिश्चित करलें कि सम्बन्धित बण्डल के प्रश्नपत्र उसी तिथि एवं प्रश्नपत्र कोड के हो।
3. परीक्षा केन्द्रों के प्राचार्य / केन्द्राध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगें कि परीक्षा में केवल उन्हीं छात्रों को सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाए, जिनको विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश पत्र निर्गत किया गया हो।
4. नोडल केन्द्र / परीक्षा केन्द्र प्रतिदिन प्रत्येक पाली में उपस्थित, अनुपस्थित एवं यू0एफ0एम0 में आरोपित अभ्यर्थियों की संख्या (छात्र / छात्राओं की अलग–अलग संख्या) का ऑनलाइन विवरण कालेज लॉगइन आई0डी0 एजेन्सी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त सूचना प्रत्येक पाली में परीक्षा सम्पन्न होने के एक घण्टा के अन्दर अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराने कष्ट करें, जिससे शासन को समय से सूचना प्रेषित की जा सके।
5. स्ट्रांग रूम एवं परीक्षा कक्ष में वायस रिकार्डर युक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरा अनिवार्य रुप से लगा हो। प्रश्नपत्रों को परीक्षा केन्द्र पर भेजने एवं परीक्षा सम्पादित करने सम्बन्धी कार्यवाही वायस रिकार्डर युक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे की निगरानी में की जाए।
6. प्रश्नपत्रों के सील्ड पैकिट को परीक्षा केन्द्रों पर खोलते समय उसकी वीडियो रिकार्डिंग की जाए और उसकी सी0डी0 विश्वविद्यालय में उपलब्ध करायी जाए।
7. उत्तर पुस्तिकाओं / ओ0एम0आर0 शीट के साथ उपस्थिति पत्रक की मूल प्रति विश्वविद्यालय को प्रेषित की जाए और उसकी कार्बन प्रति महाविद्यालय में सुरक्षित रखी जाए।
8. परीक्षा केन्द्र पर एक से अधिक महाविद्यालयों का केन्द्र होने पर अभ्यर्थियों को मिश्रित रुप से बैठने की व्यवस्था की जाए।

भवदीय,

11/05/25

(अजय कृष्ण यादव)
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. उप कुलसचिव, परीक्षा / गोपनीय।
2. निजी सचिव, मा0 कुलपति जी, मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
3. अधिकृत एजेन्सी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को सम्बन्धित महाविद्यालयों की लॉगिन आई0डी0 एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आज ही अपलोड करें।
4. फाईल।

परीक्षा नियंत्रक

V letter